भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 400
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

संपन्न प्लेटफार्म

400. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दूरसंचार विभाग में संपन्न प्लेटफार्मों से पेंशनभोगियों को किस प्रकार लाभ होता है; और

(ख) इस पोर्टल से लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) संपन्न - व्यापक पेंशन प्रबंधन प्रणाली- दूरसंचार विभाग (डीओटी) की एक निर्बाध पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली है जो प्रोसेसिंग, मंजूरी, प्राधिकार और भुगतान के साथ-साथ पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों के लेखांकन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाती है। संपन्न दूरसंचार पेंशनभोगियों (पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित) को निम्न प्रकार से लाभान्वित कर रहा है: -

(i) दूरसंचार विभाग संपन्न के माध्यम से पेंशन (पारिवारिक पेंशन जहाँ भी लागू हो) सीधे पेंशनभोगी के बैंक खाते में संवितरित करता है। इससे बैंकों/डाकघरों जैसे मध्यस्थों द्वारा पेंशन प्रोसेसिंग की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

(ii) संपन्न पोर्टल पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र/डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, ईपीपीओ (इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश), ग्रेच्युटी संस्वीकृति, पेंशन संशोधन की संस्वीकृति और बकाया राशि देखने की सुविधा प्रदान करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी भी पेंशन संस्वीकृत होने तक अपने डैशबोर्ड से अपने पेंशन मामलों की स्थिति देख सकते हैं।

(iii) संपन्न पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन/महंगाई राहत/बकाया आदि का विवरण एसएमएस टेक्स्ट/पेंशन स्लिप से भी भेजता है। पेंशनभोगी संपन्न पर अपनी बचत की घोषणा, बचत प्रमाणपत्र आदि जैसे आयकर संबंधी दस्तावेज को फाइल कर सकते हैं।

(ख) दिनांक 16.07.2024 तक संपन्न पर कुल 4,30,927 दूरसंचार पेंशनभोगी (पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित) मौजूद हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

*****